कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, वाराणसी।

अधिसूचना

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र सं0–4322/Admin,G-1,Allahabad दिनांक 18.05.2020 व उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 102/सात–न्याय–2–2015–728/86 दिनांक 18 जून 2015 के अधीन परिवार न्यायालय वाराणसी में परामर्शदाता की आबद्धता के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रकिया के अधीन कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम 1904 के अन्तर्गत परिवार न्यायालय, वाराणसी स्थित अतिरिक्त परिवार न्यायालय के सापेक्ष 2 रिक्त पदों हेतु अर्ह व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं:–

1. वाराणसी जनपद निवासी अर्ह व्यक्ति को प्राथमिकता दी जायेगी।
2. आवेदक समाज शास्त्र या मनोविज्ञान में से किसी एक विषय में स्नातक की डिग्री रखता हो और उसे समाज सेवा का अनुभव हो अथवा आवेदक सामाजिक कार्य में मास्टर डिग्री धारक है और पारिवारिक कौन्सिलिंग में उसे दो वर्ष का अनुभव है, उन्हें वरीयता दी जायेगी।
3. विज्ञापन के समय आवेदक/परामर्शदाता की आयु 35 वर्ष से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
4. आवेदन पत्र प्राप्त होने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा इसकी स्कूटनी की जायेगी और यथासम्भव एक पद के सापेक्ष पांच लोगों की सूची तैयार की जायेगी।
5. राज्य सरकार से अर्ह परामर्शदाताओं की सूची प्राप्त होने पर माननीय उच्च न्यायालय परिवार एवं बाल विकास से सम्बन्धित योग्य विशेषज्ञ से विचार करने के उपरान्त उनके नाम की संस्तुति राज्य सरकार से की जायेगी।
6. परामर्शदाता के पद हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रेषित नामों के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय प्रत्येक नामों पर विचार करेगी। राज्य सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर अधिसूचना जारी की जाएगी।
7. परामर्शदाता का कार्यकाल प्रारम्भ से 3 वर्ष का होगा। उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर 03 वर्ष के लिए उनके नाम पर पुनर्विचार किया जा सकता है।
8. परामर्शदाता के पद पर नियुक्ति शासकीय सेवा में नियुक्ति नहीं मानी जाएगी और वे न्यायालय से संविदा के आधार पर सम्बद्ध रहेंगे।
9. उक्त प्रकिया के अन्तर्गत परामर्शदाता के आबद्धता हेतु इच्छुक अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र स्व प्रमाणित फोटो सहित 10 दिन के अन्दर इस न्यायालय के कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा देंगें।

Pradeep 23/07/2021

(प्रदीप कुमार सिंह, द्वितीय)
प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय,
वाराणसी।

प्रतिलिपि:–

1. प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, वाराणसी के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
2. जनहित में निःशुल्क प्रकाशनार्थ प्रमुख समाचार पत्रों में।

नोटः–इसकी प्रति माननीय उच्च न्यायालय के बेबसाइट पर भी डाली जाय।